



नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि)
आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय
इटहरी, सुनसरी

आपूर्ति श्रृंखला विकास मा सहकार्यका लागि इच्छुक उत्पादक समूह, सहकारी, निजी प्राविधिक सेवा प्रदायक, प्रशोधनकर्ता, कृषि व्यवसायी र व्यापारीहरूबाट समृद्धि कोष (SAMRIDDHI FUND) अन्तर्गत पूरक अनुदान (Matching Grant) को लागि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशन मिति : २०७६।०९।२८

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना, 'समृद्धि' (Rural Enterprises & Remittances Project-'SAMRIDDHI') कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (IFAD) को ऋण तथा अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित आयोजना हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र (AEC) र हेल्मेटास नेपाल यस आयोजनाका प्रमुख कार्यान्वयन साभेदारका रूपमा रहेका छन् । यस आयोजनाले प्रदेश नं. १ र २ को कोशी सगरमाथा र जनकपुर सडक खण्ड अन्तर्गतका केहि जिल्लाभित्रका सुचीकृत उत्पादन क्लस्टर/पकेट क्षेत्रहरूमा बजार मागमा आधारित कृषिजन्य आपूर्ति श्रृंखलाको विकास तथा स्तरोन्नतिको लागि कार्य गरिरहेको छ ।

सोही अनुरूप आयोजनाको प्राथमिकतामा परेका वस्तुहरू माछा, सुगन्धित तेल, दुध र हरियो तरकारी (Fish, MAPs, Milk and Off Season vegetables) आपूर्ति श्रृंखलाका विकासको लागि उत्पादन तथा उत्पादन उपरान्त संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजार प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य गर्ने कृषक समूह, सहकारीहरू, सेवा प्रदायक, निजी फर्म र व्यवपारी तथा कृषि व्यावसायीहरूसंग सह लगानी गर्न समृद्धि कोष (SAMRIDDHI FUND) को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समृद्धि कोष मार्फत आयोजनाले निर्दिष्ट गरेका उत्पादन पकेट क्षेत्रहरूमा देहायका वस्तुहरूको आपूर्ति श्रृंखला प्रवर्द्धन का लागि इच्छुक उत्पादक समूह, सहकारी, निजी प्राविधिक सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, संकलनकर्ता, प्रशोधनकर्ता, कृषि व्यवसायी र व्यापारीहरूबाट उप-आयोजना पूरक अनुदान (Sub-project Matching Fund) को लागि निम्नअनुसार क्षेत्रहरूमा आशय पत्र पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।

क) आशय-पत्रका लागि वर्गीकृत Window हरू :

| क्र.सं. | क्षेत्रहरू | Window 1: उत्पादक समूह/सहकारीहरूको लागि | Window SP : निजी प्राविधिक सेवा प्रदायकहरूको लागि | Window 2: सानो तथा मझौला कृषि व्यवसायीहरूको लागि | Window 3: ठूला कृषि व्यवसायीहरू वा कम्पनीहरूको लागि |
|---------|-------------------------|--|---|--|---|
| १ | लगानीका क्षेत्रहरू | उत्पादन, उत्पादकत्वमा वृद्धि, उन्नत प्रविधि र क्षमता विकाससंग सम्बन्धित योजनाहरू । | कृषि र पशुपालन सम्बन्धी प्राविधिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्रविधि, औजार आदि । | उत्पादन उपरान्त (Post-harvest) का कार्यहरू जस्तै संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र व्यापार प्रवर्द्धन/बजारीकरण तथा गुणस्तर वृद्धि सहयोगी, कार्यहरू । | |
| २ | आवेदकको न्यूनतम योग्यता | क) तालिका ग मा उल्लेखित क्लस्टर/पकेट क्षेत्र भित्रका समूह सहकारी; ख) कम्तिमा २५ जना साना किसान आवद्ध भई सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको; ग) कुल सदस्य संख्याको ५० % महिला र ६० % युवा (४० वर्ष मुनिका) रहेको । घ) उप आयोजना कार्यान्वयन र सह-लगानी सम्बन्धी समूह वा सहकारीको निर्णय । | क) प्रस्तावित सेवा क्षेत्रसंग सम्बन्धित योग्यता र सीप प्रमाणित हुने प्रमाण-पत्र एवम् सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अनुभवको कागजात । | क) औपचारिक रूपमा दर्ता भई समान प्रकृतिको कृषि वस्तुको कारोवार सम्बन्धी कम्तिमा १ वर्ष अनुभव भएकोख) आयोजनाले पहिचान गरेका क्लस्टर /पकेट क्षेत्रका कृषक समूह/सहकारीहरूसंग काम गर्न इच्छुक व्यापारी एवम् कृषि व्यवसायीहरू । | क) औपचारिक रूपमा दर्ता भई समान प्रकृतिको कृषि वस्तुको कारोवार सम्बन्धी कम्तिमा ३ वर्षको अनुभव भएको । ख) आयोजनाले पहिचान गरेका क्लस्टर /पकेट क्षेत्रका कृषक समूह/सहकारीहरूसंग काम गर्न इच्छुक व्यापारी एवम् कृषि व्यवसायीहरू । |
| ३ | अधिकतम अनुदान सिमा | आयोजनाले निर्दिष्ट गरेका लगानीका क्रियाकलापहरूको कुल लगानी रकमको ३० % वा बढिमा रु ९ लाख पहाडमा र रु ८ लाख तराईमा । | आयोजनाले निर्दिष्ट गरेका लगानीका क्रियाकलापहरूको कुल लगानी रकमको ३० % वा बढिमा रु १ लाख ५० हजार । | आयोजनाले निर्दिष्ट गरेका लगानीका क्रियाकलापहरूको कुल लगानी रकमको ३०% वा बढिमा रु १५ लाख सम्म । | आयोजनाले निर्दिष्ट गरेका लगानीका क्रियाकलापहरूको कुल लगानी रकमको ३० % वा बढिमा रु.१ करोड सम्म । |
| ४ | लाभान्वित किसान संख्या | कम्तिमा २५ जना कृषक आवद्ध समूह सहकारी | कम्तिमा १५० जना कृषकहरूलाई सेवा पुऱ्याउनु पर्ने । | कम्तिमा १०० जना कृषकहरूका उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने । | न्यूनतम ३३० जना कृषकहरूको उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्ने । |

ख) Window 1 अर्न्तगत खुला लगानी (Unlocking Investment): :

| क्षेत्रहरू | विवरण |
|------------|-------|
|------------|-------|

| क्षेत्रहरू | विवरण |
|----------------------------------|--|
| आवेदकको न्युनतम योग्यता | आयोजनाले निर्दिष्ट गरेका क्लस्टरहरूमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा परिचालित उत्पादक समूह सहकारीहरू मात्र । एक उत्पादन क्लस्टरभित्र रहेको एक समूह वा एक भन्दा बढि समूहहरूले संयुक्त प्रस्ताव गर्न पाउने छ । यस खुला लगानी क्षेत्रका लागि Window 1 मा प्रस्ताव पेश गर्ने समूह सहकारीले पनि प्रस्ताव पेश गर्न पाउनेछन् । । |
| लगानीका लागि सम्भावित क्षेत्रहरू | सामूहिक लाभका क्षेत्रहरू जस्तै : साना सिंचाइका लागि कुलो, सिचाई पोखरी, इनार, बोरिङ्ग, सोलार लिफ्ट, पम्प आदि) र दुध संकलनका लागि चिस्थान केन्द्र आदि । |
| अनुदानको सिमा र योग्यता | उप आयोजनाको स्थिर र चालू खर्चहरूको कुल रकमको ५० प्रतिशत वा बढिमा रु. ५ लाखसम्म मात्र । आवेदकको योग्यता उत्पादक समूहका लागि माग गरिएको योग्यता अनुसार हुनु पर्नेछ । |
| लाभान्वित घरपरिवार संख्या | उत्पादक समूहमा कम्तिमा २५ किसान घरपरिवार आवद्ध रहेको |

ग) आपूर्ति श्रृंखलाका लागि वस्तु, सूचीकृत-लगानीका क्षेत्र एवम् आवेदनका लागि योग्य उत्पादन क्लस्टरहरूको सूची:

| वस्तु | सूचीकृत लगानीका क्षेत्रहरू | आयोजनाले पहिलो चरणमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेका उत्पादन क्लस्टर एवम् पकेट क्षेत्रहरू | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | जिल्ला | पालिका | वार्ड नं. | तोकिएको उत्पादन क्लस्टर | |
| माछा | १) जिउँदो माछा संकलन केन्द्र, २) सिचाई प्रविधि ३) तालिम तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण, ४) प्रविधि सहयोग (माछा मार्ने जाल, पानीमा पस्ने सुट आदि), ५) माछा पालनका आधुनिक प्रविधिहरू ६) पानी सुधार गर्ने प्रविधि ७) ट्याचरी सञ्चालन, ८) जिउँदो माछा संकलन, बिक्री र ढुवानी सम्बन्धी क्रियाकलापहरू | सिरहा | धनगढीमाई | ४, ५ | सन्तनगर फूलकाहा | |
| | | धनुषा | बटेश्वर | | ५ | शान्तीपुर |
| | | | क्षिरेश्वरनाथ | | ५ | महेन्द्रनगर |
| | | | नगराईन | | ३, ४, ५, ६ र ९ | गंगुली, फुलगामा, लगमा र घोडघास |
| | | | हंसपुर | | २,३,५,७ र ८ | बघचौरा, हंसपुर कठपुला, सुगानिकास, नुवाखोर प्रसाही, भटियाही, भटही रमनगरा |
| | | महोत्तरी | पिपरा | | ५ | पिपरा |
| | | | जलेश्वर | | २ र ६ | पानिंटकी टोल, साहजी टोल |
| | | सर्लाही | इश्वरपुर | | ३ र २ | भक्तिपुर |
| | | रौतहट | चन्द्रपुर | | ८ | सन्तपुर |
| | | बारा | कोल्हवी | | ५ | बोधवन, रामवन |
| | | | फेटा | | ३, ७, ५, ४, २ | फेटा बजार, जोतपुर, गम्हरीयाँ, विनुबरीया, बत्राफुलबरीया |
| | | मोरङ | रंगेली | | ६ | गोठीटोल |
| | | | बुढिगंगा | | ५ | हाथिमुडा |
| | | सुनसरी | बराह | | ९, १० र ११ | प्रकाशपुर र मधुवन |
| रामधुनी | | | ६ र ७ | बकलरी | | |
| सुगन्धित तेल तथा जडिबुटी (MAPs) | १) सिंचाइ प्रविधि २) तालिम तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण, ३) प्राविधिक सहयोग, ४) जमीन तयारी ५) अर्गानिक प्रमाणीकरण, ६) भर्मी कम्पोस्ट प्रविधि, ७) बजारीकरण, ८) बीऊ-बेर्ना ९) आधुनिकीकरण प्रशोधन | सिरहा | मिर्चैया | १ र २ | रामपुर विर्ता, मल्हनिया पिरारी | |
| | | धनुषा | कल्यानपुर | | ७ र ८ | भेरीया रम्पुरा, चिकना भोक्राहा |
| | | | कर्जन्हा | | ६ र ११ | विर्ता, बन्दीपुर |
| | | | बटेश्वर | | २ | पुरानो भुइचक्रपुर |
| | | सर्लाही | क्षिरेश्वरनाथ | | ५ | महेन्द्रनगर |
| | | | लालबन्दी | | १ र १० | चन्द्रपुर र नवलपुर |
| | | रौतहट | कटहरीया | | १ | भौवा |
| | | बारा | कोल्हवी | | ३ | पथलैयाघाट |
| | | | जितपुर सिमरा | | १५, १६, १७ र १८ | डुमरवाना, मनहर्वा लामिडाँडा, रामनगर काँटगाउँ, डकहा पैनिटोल |
| | | सुनसरी | इटहरी | | १९, २०, १, १७ | साबिक हाँसपोसा |
| मोरङ | बेलबारी | | ४ र ११ | काकूम बुधवारे, लक्ष्मी मार्ग | | |
| दूध | १) भ्याक्सिनेशन, २) तालिम तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण ३) प्राविधिक सहयोग ४) नश्लसुधार ५) घाँस तथा पशु आहारा, ६) घाँस काट्ने प्रविधि, ७) दुधको संकलन र बिक्री सम्बन्धी सामग्रीहरू ८) चिलिड भ्याट, ९) दूध बजारीकरण एंव प्रशोधनका | धनकुटा | महालक्ष्मी, | १, ८ र ९ | मारे कटहरे, मूर्तिढुंगा | |
| | | मोरङ | सुनवर्सी | | ३, ६ र ८ | भेलाही |
| | | उदयपुर | बेलका | | ३ र ८ | रामपुर |
| | | | चौदण्डीगढी | | ९ र १० | हँडिया |
| | | सप्तरी | अग्निसाइर कृष्णासावरन | | ६ | मोहनपुर महुली |
| | | | महदेवा | | २ | महदेवा |
| | | सिरहा | धनगढीमाई | | ३, ४, ६, ७, ८, ९, ११ | धनगढी |

| वस्तु | सूचीकृत लगानीका क्षेत्रहरू | आयोजनाले पहिलो चरणमा प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेका उत्पादन क्लस्टर एवम् पकेट क्षेत्रहरू | | | |
|--------|---|--|---|-------------|---|
| | | जिल्ला | पालिका | वार्ड नं. | तोकिएको उत्पादन क्लस्टर |
| | क्रियाकलापहरू, आदि । | | लहान | १३ र २४ | धनगढी |
| | | | सिरहा | २२ | हकपारा |
| | | | अर्नमा | ४ | हकपारा |
| | | | कर्जन्हा | १, २, ३ | बन्दीपुर |
| | | धनुषा | बटेश्वर | १, २, ३, ५ | शान्तीपुर, पुरानो भुईचक्रपुर |
| | | | धनुषाधाम | सबै | धनुषाधाम |
| | | महोत्तरी | गौशाला | १०, १२ | लक्ष्मीनियाँ कान्तिबजार |
| | | सर्लाही | लालबन्दी | १६, ४ | परवानीपुर, हरिभवन |
| | | रौतहट | माधवनारायण | ४ | मानपुर बिसनपूर्वा |
| | | | बारा | जीतपुरसिमरा | १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ |
| तरकारी | १) सिंचाइ प्रविधि, २) तालिम तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण, ३) प्राविधिक सहयोग (मिनी टिलर, प्लान्टर आदी), ५) पोलीहाउस, मल्चिङ, ८) तरकारी संकलन, बजारीकरण र ढुवानी सम्बन्धी क्रियाकलापहरू ९) अर्गानिक प्रमाणीकरण, आदि | सिराहा | कर्जन्हा | ३, ५, ६, ७ | बन्दिपुर, कर्जन्हा |
| | | | धनगढीमाई | ६, ७ | फुलकहाकट्टी |
| | | सर्लाही | लालबन्दी | १७ | बबरगञ्ज र रानीगञ्ज |
| | | महोत्तरी | बर्दिवास | १०, ११ | खयरमारा |
| | | | गौशाला | १२ | कान्तिबजार |
| | | धनुषा | छिंरेश्वरनाथ | ८ | दिगम्बरपुर |
| | | | बटेश्वर | सबै वडा | बटेश्वर |
| | | | सबैला | सबै वडा | सबैला |
| | | सुनसरी | धरान | ४ | वसन्तटार |
| | | | भोक्राहा नरसिंह | ६ | नरसिंह |
| | | | देवानगञ्ज | २, ४ | कप्तानगञ्ज र देवानगञ्ज |
| | | मोरङ | केरावारी | २ | सिंहदेवी |
| | | धनकुटा | धनकुटा | १, ६, ९, | घिमिरेटोल, देउराली टोल, बेलहारा, खाल्डे पानसिंह |
| | | | सहिदभूमि | ३, ६, | सुकेआल, डाँडागाउँ, आँखिसल्ला |
| | | | चौबिसे | २, ६ | राजारानी, मुढेवास |
| | | भोजपुर | भोजपुर | ५, १२ | टक्सार र बोखिम |
| | | तेह्रथुम | लालिगुराँस | १ | वसन्तपुर |
| | | खोटाङ | दिक्तेल रूपाकोट | | |
| | | | मभुवागढी | २, १३ | सोल्मा र नूनथला |
| | | ओखलढुङ्गा | सिद्धिचरण | ६, ८ | जन्तरखानी र लगलगे |
| उदयपुर | बेलका | २, ३, | रामनगर, एकताटोल, सिर्जना चौक, ABC टप्पु | | |
| | कटारी | ८ | बेतिनी | | |

आशय-पत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन रहनेछ, अन्तीम दिनमा सार्वनीक विधा भए सोको भोली पल्ट सम्म रहनेछ। आशय पत्रको (EOI) ढाँचा र यसको विस्तृत ToR यस आयोजनाको वेबसाइट rerp.moi.gov.np मा उपलब्ध छ। साथै यस सम्बन्धी थप जानकारी, आशय-पत्रको ढाँचाको प्राप्त एवम् आशय-पत्र पेश गर्नका लागि यस आयोजनाका निम्नानुसार कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
 प्रदेश १ अर्न्तगतका जिल्लाहरूका लागि कोशी-सगरमाथा करिडोर कार्यालय, पिपलचौक इटहरी फोन नं. ०२५-५८२०२७ र
 प्रदेश २ अर्न्तगतका जिल्लाहरूका लागि जनकपुर करिडोर कार्यालय बर्दिबास, महोत्तरी फोन नं. ०४४-५५०७२४ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।